

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त,  
गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग(सूचना का अधिकार)

देहरादून दिनांक 30 जुलाई, 2009

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के परिचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार से प्राप्त निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:-

- 1- कार्यालय ज्ञाप संख्या: 10/20/2000 आई.आर. दिनांक 21 सितम्बर, 2007।
- 2- कार्यालय ज्ञाप संख्या: 10/2/200-आई.आर. दिनांक 12 जून, 2008।
- 3- कार्यालय ज्ञाप संख्या: 11/2/2008-आई.आर. दिनांक 10 जुलाई, 2008।
- 4- कार्यालय ज्ञाप संख्या: 10/2/2008-आई.आर. दिनांक 01 जून, 2009।
5. कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/7/2009-आई.आर. दिनांक 01 जून, 2009।

उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार यथावश्यक कार्यवाही करना चाहें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

(राजीव चन्द्र)

सचिव।